* संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण *

* संविधान सभा के विचार के दर्शन सर्वप्रथम स्वराज्य विधेयक 1895 में देखने को मिलते है। इसे बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया था।

* संविधान सभा के गठन की (प्रारूप) रूपरेखा सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी। इसे पं मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था।

* संविधान सभा के (गठन) विचार का सर्वप्रथम सैद्धान्तिक रूप से प्रतिपादन M.N राव (मानवेन्द्र नाथ राव) 1934 में किया था।

* भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम फैजपुर अधिवेशन 1936 में संविधान सभा की मांग को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था।

* अगस्त प्रस्ताव 1940 में (लार्ड लिनलिथगो द्वारा) अंग्रेजों ने भारतीयों को संविधान बनाने के अधिकार को पहली बार मान्यता दे दी।

* संविधान सभा का गठन ★ संविधान 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। इसमे संविधान की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की थी तथा इनमे —

1. 292 सदस्य प्रांतो से
2. 4 चीफ कमीश्नरियो से — (निर्वाचित)
3. 93 देशी रियासतों से चुने जाने का प्रावधान था। (मनोनयन के)

संघ → 97 (100)
राज्य → 66 (61)
समवर्ती → 47 (52)

* जुलाई 1946 में संविधान सभा के 292+4 = 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुये थे। इनमें -
1. 208 कॉंग्रेस पार्टी से
2. 73 मुस्लिम लीग से
3. 8 निर्दलीय
4. 7 अन्य दलों से चुनकर आये थे।

* संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान-सभाओं के द्वारा किया गया था।

* इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था।
* 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य चुना गया था।

* देशी रियासतों के सदस्यों को राजाओं के द्वारा मनोनीत किया गया था।
* हैदराबाद रियासत एवं मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया।

* 9 दिसम्बर 1946 संसद भवन नई दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक थी। इसकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने की थी।

Imp * 9 दिसम्बर 1946 को ही संविधान सभा का प्रथम सत्र या अधिवेशन शुरू हुआ था।

* सचिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे।

* 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुने गये थे।

2 सितम्बर - नेहरू → अंतरिम सरकार का गठन

संविधान सभा का प्रथम सत्र व अधिवेशन – 9 Dec 1946 – अस्थायी अध्यक्ष – सच्चिदानंद सिन्हा
कानूनी सलाहकार – B.N राव 11 Dec 1946 स्थायी — — राजेन्द्र प्रसाद
13 दिसंबर 1946 – उद्देश्य प्रस्ताव – पं जवाहरलाल नेहरू
22 जनवरी 1947 – संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू
कुल समितियां 27 – प्रमुख – प्रारूप समिति – 29 अगस्त 1947 1+6=7 सदस्य

* H.C मुखर्जी एवं VT कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष थे।

* B.N राव को संवैधानिक / कानूनी सलाहकार बनाया गया।

* 13 दिसंबर 1946 को पं जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। वह इसी दिन से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी।

* यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना है।

* संविधान सभा में कुल 27 समितियाँ बनाई गई थी। उनमें सबसे प्रमुख प्रारूप समिति थी।

* प्रारूप समिति की गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें 1+6 = 7 सदस्य थे।

* प्रारूप समिति के गठन से पहले संविधान के प्रारूप का निर्माण B.N राव ने किया था।

* प्रमुख समितियाँ व उनके अध्यक्ष निम्न थे –

क्र.स.	समिति का नाम	अध्यक्ष का नाम
1.	प्रारूप समिति	डॉ भीमराव अम्बेडकर
2.	संघ संविधान समिति	पं जवाहरलाल नेहरू
3.	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
4	संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
5.	कार्य संचालन समिति	के. एम. मुंशी
6	संघ शक्ति समिति	पं जवाहर लाल नेहरू

स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक - 31 Oct 1947 - सदस्य - 299
(आंशिकलागू) संविधान पारित - 26 Nov 1949
संविधान सभा की अंतिम बैठक - 24 जनवरी 1950 - 284 - राजेन्द्र प्रसाद - प्रथम राष्ट्रपति
संविधान पूर्ण रूप से लागू - 26 जनवरी 1950

7. मूल अधिकार एंव अल्पसंख्यक समिति — सरदार वल्लभभाई पटेल
8. राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति (झण्डा समिति) — डॉ राजेन्द्र प्रसाद

* 3 जून 1947 को संविधान का पुर्नगठन किया गया था। तथा इनकी सदस्यों को 389 से घटाकर 324 किया गया था।

* स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टुबर 1947 को हुई थी। इसमे सदस्य संख्या 324 से घटाकर 299 किया गया था।

* 26 नवम्बर 1949 को संविधान पारित या स्वीकृत हुआ था। जिसे आधीनियमित, अंगीकृत एंव आत्मार्पित करना भी कहते है।

* 26 नवम्बर 1949 को संविधान आंशीक रूप से लागू किया गया था। अर्थात इसके निम्न प्रावधानो को लागू किया गया था। →
1. नागरिकता
2. निर्वाचन
3. अंतरिम संसद

* 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसमे 284 सदस्य उपस्थित थे। जिन्होने संविधान पर हस्ताक्षर किये तथा डॉ राजेन्द्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना।

* 26 जनवरी 1950 को संविधान पुर्ण रूप से लागू किया

संविधान को हस्तलीखित किया – प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
संविधान के वास्तुकार। शिल्पकार। निर्माता – डॉ भीमराव अम्बेडकर
वर्तमान में संविधान में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग है।
पहले (395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग थे)

गया। वह इसी दिन से संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था।

* संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तथा लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुये।
*
* संविधान सभा के कुल 11 सत्र या अधिवेशन हुये।
* संविधान के 3 वाचन हुये थे।

* संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा चली थी।
* संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है।

* संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। तथा राजस्थान से कुल 12 सदस्य थे।

* प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को हस्तलीखित (हाथ से लिखा) था।

* संविधान के प्रमुख शिल्पकार। वस्तुकार। निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर है।
आधुनिक भारत के मनु

* संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, व 22 भाग थे।

* वर्तमान में संख्या की दृष्टि से बढ़कर 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 25-भाग हो गये है।

19 June

* भारत के संविधान में अन्य देशों से लिए गये प्रावधान *

क्र.स.	देश का नाम	लिये गये प्रावधान
1.	* ब्रिटेन	1. संसदीय शासन व्यवस्था 2. राष्ट्रपति का नाममात्र का या औपचारिक प्रधान होना। 3. इकहरी नागरिकता 4. विधि का शासन 5. मंत्रिपरिषद का सामुहिक उत्तरदायित्व
2.	अमेरिका	1. प्रस्तावना 2. मुल अधिकार 3. उप-राष्ट्रपति का पद 4. सर्वोच्च न्यायालय का गठन व शक्तियाँ 5. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति 6. राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
3.	कनाड़ा	1. संघात्मक शासन व्यवस्था 2. केन्द्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3. राज्यपाल का पद
4.	फ्रांस	1. गणतंत्र व्यवस्था 2. राष्ट्रपति का पद
5.	जर्मनी	1. आपातकालीन प्रावधान
*6.	आयरलैंड	1. नीति निर्देशक तत्व 2. राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनित करना।

7. ऑस्ट्रेलिया — 1. समवर्ती सूची
2. प्रस्तावना की भाषा/शब्दावली
संयुक्त बैठक

8. सोवियत संघ/रूस — 1. मूल कर्तव्य

9. दक्षिण अफ्रीका — 1. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

10. जापान — 1. कानून या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया

20/6/2019.

* संविधान की प्रस्तावना *
(उद्देशिका, आदर्शिका, सैद्धान्तिका)

हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :-

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए :-

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए :-

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी ~~अपनी संविधान में~~
* (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी) को एतत् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं।

* प्रस्तावना में कुल 85 शब्द है।

1. प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है।

2. पंडित ठाकुरदास भार्गव एवं पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है।

3. प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों सिद्धान्तों, आदर्शों एवं भावनाओं का वर्णन किया गया है।

4. प्रस्तावना को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पारित किया था।

5. प्रस्तावना के अनुसार संविधान को जनता ने अंगीकृत किया/ स्वीकृत किया है।

6. प्रस्तावना का पहला शब्द हम भारत के लोग अमेरिका से लिया है।

7. सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती विवाद सन् 1973 के निर्णय में प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग माना है तथा इसे संविधान की आँख भी कहा है।

8. 42 वें संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 1 बार संशोधन करके निम्न 3 नये शब्द जोड़े गये —
   1. समाजवादी 2. पंथनिरपेक्षता 3. अखण्डता